पत्रांक :– 6/चारित्री–43/2017 का0....917......../
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त/सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, राँची/धनबाद/देवघर,
उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार।

राँची, दिनांक 02 फरवरी 2018

विषय :– झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का APAR वर्ष 2015–16 के लिये सिर्फ प्रतिवेदक पदाधिकारियों के द्वारा अभिलेखित करने की व्यवस्था को मान्यता देने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के परफारमेंस स्व मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) अभिलेखन हेतु परिपत्र सं0–7341, दिनांक–14.08.2015 के द्वारा नई व्यवस्था लागू की गई है। उक्त व्यवस्था के तहत अब प्रतिवेदक पदाधिकारी/समीक्षी पदाधिकारी/स्वीकरण पदाधिकारी के द्वारा झा0प्र0से0 के पदाधिकारियों का APAR का अभिलेखन ऑन लाईन किया जा रहा है।

2. उपर्युक्त व्यवस्था के राज्य में पहली बार लागू किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों के निराकरण के क्रम में विभागीय पत्रांक– 8997 दिनांक 12.08.2017 के द्वारा APAR अभिलेखन के संबंध में संशोधित परिपत्र निर्गत किया गया । इस परिपत्र के अनुसार 14.08.2015 के पूर्व के APAR/ACR को पुराने प्रपत्र में भी स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।

3. वर्ष 2015–16 के लिये प्रतिवेदक पदाधिकारियों के द्वारा अधिकतर झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का APAR/ACR ऑफ लाईन समर्पित किया गया है।

अतएव यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2015–16 के लिये सिर्फ प्रतिवेदक पदाधिकारी से अभिलेखित APAR/ACR को पूर्व की तरह मान्यता प्रदान की जायेगी। समीक्षी/स्वीकरण पदाधिकारी का मंतव्य अनिवार्य नहीं होगा।

विश्वासभाजन,

(निधि खरे) 3/2/18
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– 05/विविध॰–14–15/2014 :– 546 राँची, दिनांक – 16-02-18

प्रतिलिपि– प्रशासक सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना जमशेदपुर / अपर निशक भू–अर्जन एवं पुनर्वास जमशेदपुर/ उप समाहर्ता राजस्व प्रमंडल रांची/ निदेशक भू–गर्भ जल निदेशालय रांची/ सभी पुनर्वास पदाधिकारी/ सभी विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/2/18
(राजेश बाखला)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 05/विविध॰–14–15/2014 :– 546 राँची, दिनांक – 16-02-18

प्रतिलिपि:– वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/2/18
(राजेश बाखला)
सरकार के अवर सचिव।

D:\ALL V. K. V. 2017\5 SEC 2017\office order\5 JU O. Order O. open 29.12.17.docx